न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :— **11 / 2025** **GCMS NO. 2025/17**

ओमप्रकाश पुत्र लादूराम जाति ब्राहमण निवासी गोविन्ददासपुरा तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.)

..................**प्रार्थीगण**

— बनाम —

1. परमानन्द पुत्र बेजनाथ
2. मूलचंद पुत्र बेजनाथ
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी, जिला— झुन्झुनू (राज.)

.... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 128 / 111 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1. श्री राधेश्यामं भारद्वाज— अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. श्री प्रवीण सुरोलियां — अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 लगायत 2 की ओर से

—: **निर्णय** :—

दिनांक :— 23/12/25

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम गोविन्ददासपुरा तहसील खेतडी स्थित भूमि खसरा नम्बर 2929 / 2235 रकबा 0.11 है. चाही का खातेदार कास्तकार है। प्रार्थी के खेत से दक्षिण में सीमा जोडता खेत खसरा नम्बर 2250 रकबा 0.33 है. के काबिज खातेदार अप्रार्थी सं. 1 व 2 है। भूमि खसरा नम्बर 2929 / 2235 व 22850 के बीच वर्तमान में कोई स्थाई मेड़ नही है दोनो खेतों के मेड़ का पक्षकरो के बीच विवाद रहता है। इसलिए प्रार्थी ने खेत खसरा नम्बर 2929 / 2235 व खसरा नम्बर 2250 की बीच की सीमा ज्ञान तहसीलदार के आदेश से दिनांक 21.05.2024 को पटवारी हल्का से करवा ली व अब प्रार्थी दोनो खेतों के बीच पुख्ता पोईन्ट अथवा दीवार खींचना चाहता है ताकि भविष्य में प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच कोई विवाद न हो।

अतः प्रार्थना—पत्र मय सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 2929 / 2235 व 2250 के बीच सीमाओं पर पत्थरगढ़ी का आदेश फरमाया जावें। तहसीलदार खेतडी को पत्थरगढ़ी हेतु आदेश जारी करने कृपा करें।

प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 2 को जवाब पेश किया कि खसरा नम्बर 2929 / 2235 व 2250 के बीच स्थाई मेंढ है जो ओमप्रकाश के मकान के दक्षिण दिशा में स्थित है, जिस पर प्रार्थी ने अतिक्रमण करके अपने मकान के छज्जे करीब 2 फुट में निकाल रखे है। स्थाई मेंढ को अतिक्रमण करके क्षतिग्रस्त जगह—जगह से कर रखा है। प्रार्थी ने जो सीमाज्ञान कराने का तथ्य इस प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है, वह गलत है। प्रार्थी के सीमाज्ञान का पटवारी हल्का से मिलकर किया है तथा उस पर अप्रार्थीगण के उपस्थिति के कोई साक्ष्य नही है, प्रार्थी ने जो रिपोर्ट पेश कर रखी है उक्त पर अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर नही है, यदि प्रार्थी सही रूप से सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करवाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

चाहता है तो अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2250 रकबा 0.33 है. का भी पुराने किसी चिन्ह या बिन्दू से सीमाज्ञान कराकर मौके की सही स्थिति रिकार्ड पर लाकर दोनो पक्षों की उपस्थिति में दोनो के खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान एक साथ मौके पर मौजूद चिन्ह या बिन्दू से तय करके कमेटी से तय करवाकर किया जावें। उसके पश्चात दोनो पक्षों की सहमति से पत्थरगढी कराई जावें। जिससे दोनो पक्षों के मध्य किसी प्रकार के मध्य किसी प्रकार का विवाद भविष्य में नही रहें।अतः प्रार्थना पत्र का जबाब पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थीगण के द्वारा में वर्णित आधारों पर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित दोनो पक्षों के खसरा नम्बररान का पुनः सीमाज्ञान तीन सदस्यों कमेटी के द्वारा कराकर उसके पश्चात पत्थरगढी का आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना—पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 31.05.2024 एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2073—2076 के खाता संख्या नया 95 ग्राम गोविन्ददासपुरा पेश की गई।

पत्रावली पेश हुई। बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वे ग्राम गोविन्ददासपुरा, तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या नया 95 के खसरा नम्बर 2929 / 2235 रकबा 0.11 है. की फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 31.05.2024 के आधार पर सर्वेसीट से उभय पक्षकरान की उपस्थिति में पुनः नपती करवाकर 1000 / — रूपये फीस पर सीमा कायम कर सीमांकन के सम्यक् समाधान उपरान्त प्रार्थीगण के खर्चे पर सीमाचिन्ह, पत्थरगढी कायम कराए जाने के आदेश दिया जाता है। तथा अप्रार्थी संख्या 1, 2 की खातेदारी भूमि वाके ग्राम गोविन्ददासपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 2250 का नियमानुसार सीमाज्ञान राशि राजकोष में जमा उपरान्त उभय पक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किये जाने के आदेश दिया जाता है। पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवायें।

यह आज तारीख 23/1/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं